अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कानसिंह बनाम बाबूलाल गैरह
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या: 167/2023 (अजमेर)

	श्री महेन्द्रसिंह चौहान श्री मौहम्मद इकबाल	
	कानसिंह बनाम बाबूलाल वगैरह(167/2023)	
21.06.2023	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 32 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन एवं धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ रिजर्व रखी जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी	
26.06.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र व अपील पेश की गई। अभिभावक उभयपक्ष को दिनांक 21.06.2023 को सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को साक्ष्य एव सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं कर दिया जिसकी प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। उक्त जानकारी अभी हाल ही में दिनांक 23.05.2023 को हुई जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि उनके पक्ष में स्थगन आदेश किया गया है जब प्रार्थी ने जानकारी एवं जानकारी होने पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.05.2023 को आवेदन किया एवं नकल प्राप्त कर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहा है, ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। गुणावगुण पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने का आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2022 की जानकारी प्रार्थी/अपीलांट को दिनांक 29.11.2022 को हो चुकी थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुके थे।इस प्रकार प्रार्थी/अपीलांट का यह कथन किया कि आदेश की जानकारी दिनांक 23.05.2023 को हुई गलत है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित देरी के कारण जो अंकित किये गये है वह मनगढ़त बनाये गये इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अपील का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि ग्राम किराणीपुरा तहसील व जिला अजमेर अवस्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 940 रकबा	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार...

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,

कानसिंह बनाम बाबूलाल वगैरह

किस्म मुकदमा–226 राज.काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्याः 167/2023 (अजमेर)

लगातार..

4–11–10 बीघा के वर्किंग खसरा नम्बर 1129, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143 व 1144 है जिसमें 1129 जिसके हाल खसरा नम्बर 2142 व 2143 बाबत् एक राजस्व वाद संख्या 30/2021 बउनवानी रघुनाथ बनाम कानसिंह पूर्व में विचाराधीन है तथा उक्त वाद के साथ प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थी रघुनाथ बतौर प्रार्थी संख्या 19 के रूप में संयोजित है इस प्रकार प्रार्थी रघुनाथ पुत्र मूला के द्वारा एक ही खसरा नम्बर के बाबत् दो अलग–अलग वाद प्रस्तुत कर रखे है जिससे कि उक्त वाद व प्रार्थना पत्र सी.पी.सी. की धारा 10 व 11 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत संधारण योग्य नहीं होनेके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 पारित कर दिया जो अपीलांट के हक व अधिकारों के विरूद्ध है। इस प्रकार अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. सभी तथ्यों को उजागर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनाक 27.12.2022 को प्रस्तुत कर रखा है तथा प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट के उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर बहस आदि नहीं की जा रही है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 28.10.2022 को निरस्त किया जावें। विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार अपीलांट है तथा एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार का पाबंद करने में त्रुटि कारित की है। वादग्रस्त आराजी बाबत् हक व हकूक बाद साक्ष्य व सुनवाई के दावें में निर्धारित होगें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि आराजीयात खसरा नम्बर 940 के वर्किंग खसरा नम्बर 119 रकबा 01–03–10 बीघा रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज आराजीयात थी परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा दौराने बन्दोबस्त कार्यवाही पूर्व इन्द्राज को बिना किसी सक्षम न्यायालय के ओदश के परिवर्तित करते हुए हजारी, दल्ला व हरजी पुत्रगण भींया के नाम दर्ज कर दिया जबकि उपरोक्त दर्ज खातेदारान का रेस्पोडेन्टस के परिवार से कोई वास्ता नहीं है तथा उपरोक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर जो बैचान किए गए है वह भी रेस्पोडेन्टस के हक व अधिकारो पर बालित व बैअसर है तथा भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं होने से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। केवल राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज के आधार पर अपीलांट खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है। वादकारण दिनांक 17.10.2022 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा प्राप्त करने के लिए भू–माफियाओं के साथ मिलकर कब्जा लेने का प्रयास किया गया तब वादी को जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजीयात का बैचान हो चुका है, जिस पर प्रार्थीगण के समस्त आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए और वादकरण दिनांक 17.10.2022 से आज दिवस तक लगातार चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात का का बैचान किये जाने से तथा आगे बैंचान नहीं हो इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेश से अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं हो रही है यदि यथास्थिति के आदेश को निरस्त किया जाता

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार..

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कानसिंह बनाम बाबूलाल गैरह
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 167/2023 (अजमेर)

है तो प्रथमदृष्टया क्षति रेस्पोडेन्टस को ही होनी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय पारित आदेश दिनांक 28.10.2022 विधि सम्मत है। यदि उक्त आदेश से अपीलांट को कोई आपत्ति है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चारोजोही करना चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की जाकर यह अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत कर अनावश्यक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को विलम्ब किया जा रहा है। कृषि भूमि बाबत् जहाँ विवाद हो वहाँ पर विवाद वस्तु को अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उपरोक्त वर्णित कथनो के अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2022 को यथावत् रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अपील एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2022 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1129 रकबा 01–03–10 बीघा के हाल खसरा नम्बर 2142 रकबा 0.10 है0 व खसरा नम्बर 2143 रकबा 0.09 है0 वाकै ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर के बाबत् राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण उपस्थित हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2022 से विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश विधि सम्मत हैं,इस बाबत् मान्नीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। प्रकरण अंतिम निस्तारण पर है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है, इसलिए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते है कि वे पक्षकार से जवाब प्राप्त कर, प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का निरस्तारण 60 दिवस से करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। तब तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वर्णित विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1129 रकबा 01–03–10 बीघा के हाल खसरा नम्बर 2142 रकबा 0.10 है0 व खसरा नम्बर 2143 रकबा 0.09 है. वाकै ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर के बाबत् राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर